न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश - सुनीता मीणा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक निगरानी संख्या - 26/2022

रामलाल पुत्र रामरतन, उम्र 39 वर्ष, निवासी धाकड़ों का मोहल्ला राजपुरा वार्ड बांरा, जिला-बांरा (राज.) **— निगराकार/अप्रार्थी**

बनाम

1- सन्जूबाई पत्नी रामलाल, पुत्री लक्ष्मणलाल, उम्र 34 वर्ष, निवासी धाकड़ों का मोहल्ला राजपुरा वार्ड बांरा, जिला-बांरा (राज.) हाल मुकाम ग्राम बरबेली, तहसील खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.)

2- अन्जली पुत्री रामलाल, उम्र 10 वर्ष, (नाबालिग) जरिये संरक्षक माता सन्जूबाई पत्नी रामलाल, निवासी धाकड़ों का मोहल्ला राजपुरा वार्ड बांरा, जिला बांरा (राज.) हाल मुकाम ग्राम बरबेली, तहसील खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) **— गैरनिगराकार/प्रार्थियागण**

दाण्डिक निगरानी याचिका बनाराजगी आदेश दिनांक 07.09.2022, जो श्री इन्द्रसिंह मीणा, आर.जे.एस., न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला-झालावाड़ द्वारा मुत. फौज.प्र.सं.-96/2019, बउनवान संजूबाई व अन्य बनाम रामलाल, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. बाबत् भरण-पोषण में पारित किया गया।

उपस्थितः-

1- श्री राजेन्द्र सिंह झाला, अधिवक्ता, निगराकार/अप्रार्थी की ओर से।

2- श्री अजीतसिंह झाला व श्री देशराज सिंह शक्तावत, अधिवक्ता, गैरनिगराकार /प्रार्थियागण की ओर से।

आदेश **दिनांक- 18.03.2026**

हस्तगत दांडिक निगरानी याचिका रामलाल की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) द्वारा मुतफरिक फौजदारी प्रकरण संख्या-96/2019 (सी.आई.एस.नं.-96/19), बउनवान संजूबाई व अन्य बनाम रामलाल, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07.09.2022, जिसके अनुसार प्रार्थिया संजूबाई स्वयं व उसकी अवयस्क पुत्री अन्जली की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् भरण-पोषण अन्तर्गत धारा 125 दं.प्र.सं., अप्रार्थी रामलाल, स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी

रामलाल को आदेशित किया गया कि वह प्रार्थिया संजूबाई के भरण-पोषण हेतु 3,000/-रूपये मासिक एवं प्रार्थिया अंजली के भरण-पोषण हेतु 3,000/-रूपये कुल 6,000/-रूपये प्रतिमाह अदा करेगा। भरण-पोषण की राशि प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से देय होगी और आगामी सभी माह की दिनांक 1 से 10 तारीख के मध्य भरण-पोषण की राशि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अदा की जाएगी। प्रार्थिया अंजली को भरण-पोषण की राशि उसके नाबालिग रहने तक ही अप्रार्थी द्वारा अदा की जाएगी। अब तक की बकाया राशि अप्रार्थी एक माह के भीतर प्रार्थिया को अदा करेगा। यदि प्रार्थीगण अन्य किसी प्रकरण के माध्यम से भरण-पोषण राशि प्राप्त कर रहे हो, तो अप्रार्थी उसे समायोजित करवाने का अधिकारी होगा, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी रामलाल की ओर से हस्तगत दाण्डिक निगरानी याचिका श्रीमान् सैशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत की गई। कालांतर में उक्त दाण्डिक निगरानी याचिका अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं, जिसका उक्त आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2- संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थिया संजूबाई द्वारा स्वयं व अपनी नाबालिग पुत्री अंजली की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. का अप्रार्थी रामलाल के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि उसका विवाह अप्रार्थी के साथ हिन्दु धर्म व जाति समाज की रीति-रिवाज अनुसार सन् 2002 में सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय ही आना-गोना की रस्म अदा कर दी गई थी तथा विवाह के समय प्रार्थिया के पिता के द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार सारा सामान व रकम वगैरा दी थी। प्रार्थिया के अप्रार्थी के नुत्फे से एक पुत्र व पुत्री अंजली का जन्म हुआ। अप्रार्थी व उसके माता-पिता दहेज के लालची है तथा उन्होंने इसी मांग को लेकर प्रार्थिया का सम्पूर्ण स्त्रीधन हड़प कर लड़के को अपने पास रख लिया तथा प्रार्थिया व उसकी पुत्री को शरीर पर पहने हुये कपड़ों से ही करीब 02 साल पहले घर से निकाल दिया। अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना खानपुर में धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. में मुकदमा दर्ज है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा इसके बाद भी स्त्रीधन तथा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नहीं लौटाया है। अप्रार्थी व उसके परिवार वालों को काफी समझाने की कोशिश की गई कि परिवार नहीं बिगड़े। जैसे-तैसे राजीनामा होकर प्रार्थिया व उसकी पुत्री को अपने साथ परिवार में रखे, परन्तु अप्रार्थी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया तथा दूसरी शादी करने पर आमादा हो रहा है। पुत्री अंजली अध्ययनरत है, अक्सर बीमार रहती है। प्रार्थिया का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। आय का कोई साधन नहीं है, जबकि अप्रार्थी का बांरा में अच्छा व्यवसाय है तथा जिससे वह पचास हजार रूपये से भी ज्यादा मासिक कमाता है। अन्त में प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया व उसकी पुत्री को 10,000-10,000/-रूपये कुल 20,000/-रूपये मासिक भरण-पोषण अप्रार्थी से आवेदन पत्र पेश करने की दिनांक से दिलवाये जाने का निवेदन किया।

3- इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार किया व मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थिया अप्रार्थी के साथ रहते हुये अन्य व्यक्ति जिसका नाम पुरूषोत्तम है, से प्रेम संबंध बना लिये थे। इस कारण प्रार्थिया व अप्रार्थी के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ था और प्रार्थिया इसी कारण अप्रार्थी का घर छोड़कर अपने पीहर में रह रही है। प्रार्थिया द्वारा थाना सारोला कलां में 498 का झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया था और प्रार्थिया के सभी दस्तावेज प्रार्थिया के पास है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया के नाम एक एफ.डी. बैंक में करवा रखी है, जो भी प्रार्थिया के पास है। प्रार्थिया पुरूषोत्तम का साथ नहीं छोड़ना चाहती। प्रार्थिया को कई बार उसके परिवार वालों ने समझाया, लेकिन वह पुरूषोत्तम से अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती और प्रार्थिया ने साफ मना कर दिया कि वह तो उसी के साथ रहेगी। प्रार्थिया उसी के साथ जीवन यापन कर रही है और पुरूषोत्तम ही प्रार्थिया का खर्चा वहन कर रहा है। प्रार्थिया पी.डब्ल्यू.डी. में नौकरी करती है, वहां पर उसे अच्छा वेतन मिलता है, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर रही है। अप्रार्थी खुली मजदूरी करता है और मजदूरी कर अपने बुजुर्ग माता-पिता व अपने एक लड़के का भरण-पोषण बमुश्किल कर पाता है। प्रार्थिया स्वयं नौकरी करती है व पुरूषोत्तम भी प्रार्थिया का खर्चा वहन करता है, इसलिये प्रार्थिया का गुजारा भत्ता भी आवश्यक नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4- तदुपरान्त विचारण न्यायालय में प्रार्थिया संजूबाई ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में ए.ड.-1 संजूबाई स्वयं व गवाह ए.ड.-2 दिनेश के बयान लेखबद्ध करवाये तथा इसके विपरीत अप्रार्थी रामलाल की ओर से साक्ष्य अप्रार्थी में डी.ड.-1 रामलाल स्वयं व गवाह डी.ड.-2 रामप्रताप के बयान लेखबद्ध करवाये गये। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 07.09.2022 को आलौच्य आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर उक्तानुसार अप्रार्थी/निगराकार रामलाल द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

5- निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका मुख्यतः इन आधारों पर पेश की गई है कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा तथा निगराकार द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर गौर नहीं कर औपचारिकता स्वरूप गैरनिगराकारान के पक्ष में एवं निगराकार के विरूद्ध आदेश पारित किया है। गैर निगराकार सं.-1 संजूबाई, गैर निगराकार सं.-2 अंजली को अपने साथ लेकर बिना किसी कारण के स्वयं की इच्छा से पुरूषोत्तम गुर्जर, निवासी बांरा, जिला-बांरा के साथ लीव इन रिलेशन में उसकी पत्नी बनकर रह रही है तथा निगराकार का अभित्याग कर रखा है। गैर निगराकार सं.-1 जिद्दी तथा व्याभिचार में लिप्त रहने वाली प्रवृत्ति की महिला है तथा उसने गैर पुरूष पुरूषोत्तम गुर्जर को अपना पति मानकर तथा उसके साथ पत्नी के रूप में रहकर निगराकार का स्थाई रूप से अभित्याग कर दिया है। निगराकार की आर्थिक स्थिति व आय के संसाधनों को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया है। गैर निगराकार सं.-1 संजूबाई पी.डब्ल्यू.डी. विभाग खानपुर में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रही है तथा वह प्राईवेट नौकरी व ट्यूशन आदि का कार्य करके लगभग 25,000/-रूपये प्रतिमाह कमा लेती है। गैर निगराकार सं.-1 के कोई भाई नहीं है तथा 4 बहनें हैं। उसके पिता के पास लगभग 30 बीघा कृषि भूमि है, जिसका उसके पिता ने पारिवारिक बंटवारा कर दिया है तथा बंटवारे में गैर निगराकार के हिस्से में 5 बीघा सिंचित कृषि भूमि आई है, जिससे लगभग 2,50,000/-रूपये प्रतिवर्ष की आय होती है। उसका स्वयं खानपुर में एक रिहायशी प्लाट स्थित है, जिस पर मकान निर्माण का कार्य करवा रही है। उसके नाम से निगराकार ने आदर्श क्रेडिट कोऑपेरटिक लिमिटेड शाखा, बांरा में एक एफ.डी. करवाई थी, जो माह जुलाई, 2019 में मैच्योर होने पर गैर निगराकार ने मैच्युरिटी राशि 1,73,600/-रूपये प्राप्त कर उक्त राशि को भी ब्याज पर दे रखा है। इस प्रकार गैर निगराकार सं.-1 के पास आय के पर्याप्त साधन है तथा वह अपना स्वयं का एवं पुत्री अंजली का भरण-पोषण करने में पूर्णतया सक्षम है। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। हस्तगत निगरानी याचिका उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की होने से प्रस्तुत कर हस्तगत निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 07.09.2022 को अपास्त किये जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान किये जाने की प्रार्थना की है।

6- हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- दौराने बहस निगरानी में अप्रार्थी रामलाल के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया संजूबाई के द्वारा वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थिया को बिना अप्रार्थी की सहमति के स्वेच्छया ले गये, तब से ही प्रार्थिया अकारण ही अप्रार्थी की उपेक्षा, अवहेलना करते हुए, अन्य पुरूष के साथ रह कर अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है। प्रार्थिया पी.डब्ल्यू.डी. में नौकरी करती है तथा बंटवारे में उसके हिस्से में कृषि भूमि भी आयी है, प्रार्थिया कृषि कार्य में भी दक्ष है और अपने सभी स्त्रोतों से आय अर्जित करती है। प्रार्थिया अपना व अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में सक्षम है, प्रार्थिया व उसकी अवयस्क पुत्री को भरण-पोषण राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी रामलाल के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि प्रार्थिया संजूबाई द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग कर रखा है, जबकि अप्रार्थी आज भी प्रार्थिया व उसकी पुत्री को रखने को तत्पर है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह भी तर्क रहा है कि गैरनिगराकार सं.-1 ने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है तथा उसके साथ बतौर पत्नी बनकर रह रही है, जिसका प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत कंवल्दा से प्राप्त कर लिया है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

8- इसके विपरीत प्रार्थिया संजूबाई के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थिया के साथ अमानवीय व क्रूर रहा है। अप्रार्थी, प्रार्थिया के साथ मारपीट करता तथा उसे प्रताड़ित कर दहेज की मांग करता था। प्रार्थिया व उसकी पुत्री काफी समय से अपने माता-पिता के पास रह रहे है। प्रार्थिया स्वयं व अपनी पुत्री का भरण-पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तथा उसके माता-पिता उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ है। अतः उसे व उसकी अवयस्क पुत्री के लिये भरण-पोषण की आवश्यकता होती है। अप्रार्थी पढ़ा-लिखा व्यक्ति होकर अच्छा व्यवसाय कर 50,000/-रूपये मासिक की आय अर्जित कर लेता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधिसंगत है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अप्रार्थी की निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

9- बहस के दौरान उभय पक्षों के द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

10- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता का दौराने बहस तर्क रहा है कि गैर निगराकार सं.-1 पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करती है तथा वह उसका परित्याग कर अन्य व्यक्ति पुरूषोत्तम गुर्जर के साथ रह रही ही है, जबकि निगराकार छोटा व्यवसायी है और उसके पास समुचित संसाधन 6,000/- रूपये मासिक अदा करने के लिये मौजूद नहीं है। जहां तक गैर निगराकार के अन्य पुरूष पुरूषोत्तम गुर्जर नाम के व्यक्ति से संबंध होने का तर्क है, इस संबंध में कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है।

11- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना व अन्य (2015) 6 एस.सी.सी. 353** में निर्धारित किया है कि -

> "This Court held that Section **125** of the Cr.P.C. was conceived to ameliorate the agony, anguish, financial suffering of a woman who had left her matrimonial home, so that some suitable arrangements could be made to enable her to sustain herself and the children. Since it is the sacrosanct duty of the husband to provide financial support to the wife and minor children, the husband was required to earn money even by physical labour, if he is able-bodied, and could not avoid his obligation, except on any legally permissible ground mentioned in the statute."

12- इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Chander Prakash Bodhraj v Shila Rani Chander prakash, **39 (2018) 12 एस.सी.सी. 199** में प्रतिपादित किया है कि -

> "An able-bodied husband must be presumed to be capable of earning sufficient money to maintain his wife and children, and cannot contend that he is not in a position to earn sufficiently to maintain his family, as held by the Delhi High Court in Chander Prakash Bodhraj v Shila Rani Chander prakash. The onus is on the husband to

establish with necessary material that there are sufficient grounds to show that he is unable to maintain the family, and discharge his legal obligations for reasons beyond his control. If the husband does not disclose the exact amount of his income, an adverse inference may be drawn by the Court.''

13- इसी प्रकार से जहां तक पुत्री को दी गयी राशि का संबंध है तो इस संबंध में भी **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनीश बनाम नेहा, ए.आई.आर. 2021 सुप्रीम कोर्ट 569** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भुवन मोहन सिंह बनाम मीना व अन्य (2015) 6 एस.सी.सी. 353** एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा Chander Prakash Bodhraj v Shila Rani Chander prakash, **39 (2018) 12 एस.सी.सी. 199** का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि -

''Maintenance of minor children The living expenses of the child would include expenses for food, clothing, residence, medical expenses, education of children. Extra coaching classes or any other vocational training courses to complement the basic education must be factored in, while awarding child support. Albeit, it should be a reasonable amount to be awarded for extra-curricular/coaching classes, and not an overly extravagant amount which may be claimed. Education expenses of the children must be normally borne by the father. If the wife is working and earning sufficiently, the expenses may be shared proportionately between the parties.''

14- इस तरह से जहां तक निगराकार के इस तर्क का प्रश्न है कि वह छोटा व्यवसाय करता है और लाचारी से भरण पोषण की राशि अदा करने में असक्षम है, उसके पास अन्य जिम्मेदारी भी है तो इस न्यायालय के विनम्र मत में यह एक पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा, मेडिकल, भोजन, कपड़े और निवास का ध्यान रखे और जहां तक पत्नी का संबंध है तो उक्त न्यायिक दृष्टान्तों

में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि पति का यह पवित्र दायित्व है कि वह अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करें और इसके लिये चाहे वह शारीरिक परिश्रम करें लेकिन वह अपने दायित्व से बच नहीं सकता है, जब तक अन्यथा विधि में इसका कोई अपवाद नहीं है। जहां तक निगराकार का यह तर्क है कि गैर निगराकार सं.-1 पी.डब्ल्यू.डी. में नौकरी करती है, जबकि प्रार्थिया ने स्वयं का अपने माता-पिता के घर पर रहना एवं नौकरी नहीं करना व कुछ काम काज नहीं करना बताया है। यदि प्रार्थिया प्राईवेट नौकरी भी करती है तो न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थिया के द्वारा प्राईवेट नौकरी का कार्य करना मजबूरी एवं भरण-पोषण के लिये करना कहा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में मंहगाई व ईलाज एवं अन्य खर्चों को देखते हुए सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करने का कोई आय का पर्याप्त साधन नहीं है। प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से भी अप्रार्थी की आय संबंधित कोई दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं की गई है, परन्तु प्रार्थिया संजूबाई अप्रार्थी रामलाल की विवाहिता पत्नी है और यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थिया संजूबाई युक्तियुक्त कारण से अप्रार्थी रामलाल से अलग रह रही है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्रार्थिया संजूबाई व उसकी पुत्री अंजली उचित भरण पोषण राशि प्राप्त करने अधिकारी है।

15- विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह तर्क रहा है कि गैरनिगराकार सं.-1 ने अन्यत्र विवाह कर लिया है, जिससे वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का यह तर्क है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रजनीश बनाम नेहा, 2021 (2), एस.सी.सी. 324** में यह स्पष्ट किया गया है कि भरण-पोषण का निर्धारण वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाना चाहिये, उसमें परिवर्तन केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। भरण पोषण राशि के वृद्धि अथवा कमी का प्रावधान धारा 127 दं.प्र.सं. (146 बी.एन.एस.एस.) में किया गया है, जो कि परिस्थितियों में परिवर्तन सिद्ध होने पर सक्षम न्यायालय में पृथक आवेदन के उपरान्त ही किया जा सकता है।

16- अतः उपर्युक्त विश्लेषणानुसार विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के आधार पर पारित आलौच्य आदेश में कोई अवैधता, अशुद्धता व अनियमितता होना दर्शित नहीं हुई है, जिससे निगराकार/अप्रार्थी रामलाल की निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः निगराकार/अप्रार्थी रामलाल की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी याचिका एतदद्वारा अस्वीकार कर **खारिज** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खानपुर, जिला-झालावाड़ (राज.) द्वारा मुतफर्रिक फौजदारी प्रकरण संख्या-96/2019 में दिनांक 07.09.2022 को पारित आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

इस आदेश की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की तलबिदा पत्रावली वापस लौटाई जावे।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

आदेश आज दिनांक **18.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश
अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.प्र.)
झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.19 16:25:05 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।